भारतीय सेना प्राकृतिक आपदाओं में भी राष्ट्र की रक्षा के लिये तत्पर रहती है : मेजर जनरल गौरव मिश्रा

कोटा, (निसं)। भारतीय सेना की दक्षिण-पश्चिम कमांड सप्त शक्ति का अलकंरण समारोह स्टेशन स्थित आर्मी परिसर में मंगलवार को आयोजित समारोह में सेना के पराक्रम और आधुनिक सैन्य शक्तियों का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। आयोजित समारोह मे सेना के आधुनिक तकनीकी के हथियारों, टैंक व तोपों की प्रदर्शनी लगाई गई।

सेना को जानों कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन व स्कूली बच्चों ने भाग लिया और एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों की जानकारी ली। समारोह के मुख्य अतिथि सेना मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिग गांडिव डिविजन के मेजर जनरल गौरव मिश्रा थे। मुख्य अतिथि मेजर जनरल गौरव मिश्रा ने उद्बोधन मे कहा कि भारतीय सेना का मूल मंत्र नाम, नमक और निशान हैं, उन्होंने सेना की बहादुरी संकल्प और कुशलता की सहराना करते हुए कहा कि भारतीय सेना न केवल युद्धकला में बल्कि आतंकवाद-रोधी अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं में भी राष्ट्र की रक्षा और सहायता के लिये सदैव तत्पर रहती हैं।

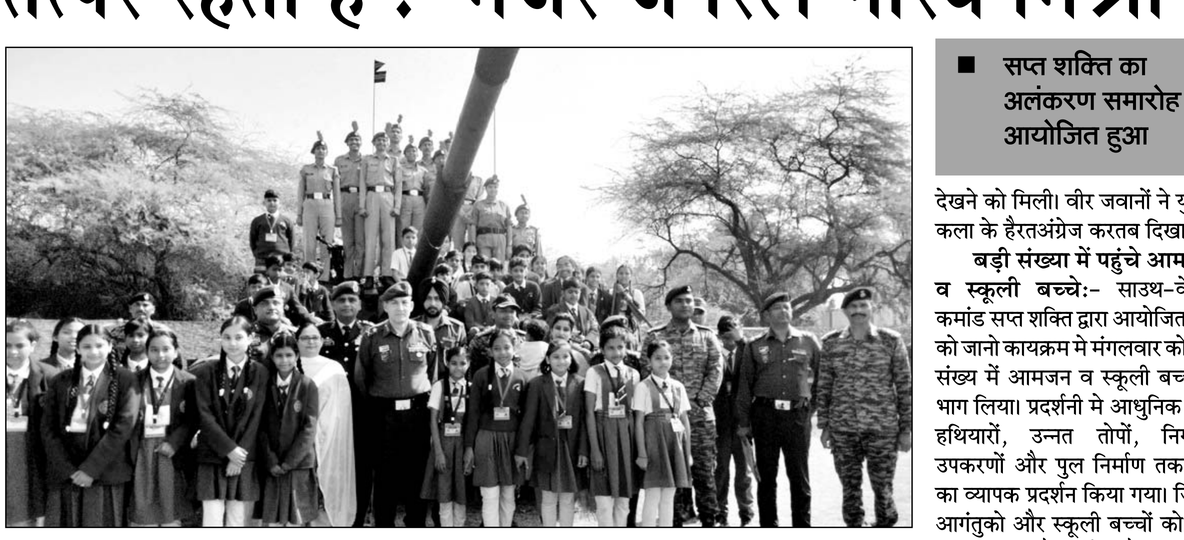

सप्त शक्ति का अलंकरण समारोह में मेजर जनरल गौरव मिश्रा ने शिरकत की।

मेजर जनरल ने विशेष रूप से उपस्थित युवा पीढ़ी को सेना को करीब से जानने और राष्ट्र सेवा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही युद्ध नही कर रही है अब युद्ध मल्टी डोमेन हो चुका है युद्ध स्पेस मे भी पहुंच गया है सूचना तकनीकी व इलेक्ट्रोनिक युद्ध हो गया है। उन्होनें कहा कि इस युद्ध वॉर को देखते हुए भारतीय सेना भी तेजी से अपग्रेड हो रही है। आयोजित समारोह में केरल की प्राचीन युद्धकला कलारीपायटु, मराठो का मलखंभ और सिखों का गटका जैसे पारंपरिक युद्धक कलाओं के प्रदर्शन में आगंतुको को भारतीय युद्धक विरासत की झलक देखने को मिली। वीर जवानों ने युद्धक कला के हैरतअंग्रेज करतब दिखाए।

- सप्त शक्ति का अलंकरण समारोह आयोजित हुआ

बड़ी संख्या में पहुंचे आम जन व स्कूली बच्चे:- साउथ-वेस्टर्न कमांड सप्त शक्ति द्वारा आयोजित सेना को जानो कायक्रम मे मंगलवार को बड़ी संख्य में आमजन व स्कूली बच्चो ने भाग लिया। प्रदर्शनी मे आधुनिक सैन्य हथियारों, उन्नत तोपों, निगरानी उपकरणों और पुल निर्माण तकनीकों का व्यापक प्रदर्शन किया गया। जिसमे आगंतुको और स्कूली बच्चों को सेना की रणनीति तैयारियों और नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी मिली। युवाओं व बच्चों को भारतीय सेना की कार्यप्रणाली तकनीकी प्रगति और युद्धक क्षमताओं से परिचित कराने के उद्देश्य को लेकर प्रदर्शनी को लगाई गई है। अलंकरण समारोह का समापन 20 फरवरी को होगा।

सिविल कारावास से दंडित

छबड़ा (निसं)। तहसीलदार यादवेंद्र यादव ने मंगलवार को नौ लोगों को पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाए जाने पर सिविल कारावास से दंडित किया। जिनमें एक अतिक्रमी को थानाधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

तहसीलदार यादव के अनुसार तहसील छबडा के पटवार मण्डल निपानिया के अतिक्रमी भगवानलाल पुत्र बलराम मीणा निवासी परोलिया, मोगराज पुत्र भागचन्द मीणा निवासी निपानी, रूपसिंह पुत्र कैलाश मीणा निवासी परोलिया, पटवार मण्डल तीतरखेडी के अतिक्रमी लाखनसिंह पुत्र मालमसिंह अहीर निवासी निजामखेडी, बृजेश पुत्र पहलवान अहीर निवासी हनुवतखेड़ापार, पटवार मण्डल भूलोन के अतिक्रमी भूरालाल पुत्र कन्हैयालाल मीणा निवासी भूलोन, पटवार मण्डल कोटड़ापार के अतिक्रमी बाबूलाल पुत्र पूरणलाल लोधा निवासी कोटड़ापार, पहलवानसिंह पुत्र रामसिंह अहीर निवासी भोजपुर, किशनगोपाल पुत्र रामनारायण अहीर निवासी भोजपुर को पश्चातवर्ती अतिकमी होने की दशा में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सिविल कारावास से दण्डित करते हुए वारंट जारी किए गए हैं।

नि:शुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर 21 फरवरी को

कोटा, (निसं)। लायंस क्लब कोटा द्वारा 21 फरवरी को नि:शुल्क नैत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। लायंस क्लब अध्यक्ष प्रमोद विजय ने बताया कि बताया कि हवाई अड्डे के सामने झालावाड़ रोड़ स्थित लांयस क्लब भवन, कोटा में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन होगा।

शुक्रवार 21 फरवरी को प्रात: 10 से 01 बजे तक नेत्र रोगियों की जांच व भर्ती की जाएगी। 22 फरवरी को लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए जाएगें। सचिव विरेन्द्र विजय ने बताया कि निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में जिला अंधता निवारण समिति कोटा भी सहयोग रहेगा। शिविर प्रभारी अशोक नुवाल ने बताया कि शिविर में सभी मरीजों को आवास, भोजन, दवाईयां लेंस एवं चश्में की व्यवस्था क्लब द्वारा की जाएगी। शिविर में आने वाले नेत्र चिकित्सा रोगी को आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड की जेरोक्स कॉपी एवं दो फोटो साथ लाने होगे। शिविर में नि:शुल्क ब्लड प्रेशर, मधुमेह, एक्यूप्रेशर की नि:शुल्क जांच भी होगी।

कार्यालय जिला परिषद्, कोटा
(पंचायतीराज प्रकोष्ठ)
सीएडी सर्किल, कोटा (राजस्थान), फोन नं. 0744-2501196, ई मेल : aceo.kota@rajasthan.gov.in
क्रमांक :- एफ./जिपको/2024-25/202 दिनांक :- 17/02/2025
बोली आमंत्रण सूचना
कार्यालय जिला परिषद् कोटा के पंचायतीराज प्रकोष्ठ द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायतों में दिनांक 03.03.2025 से 06.03.2025 तक एक्पोजर विजिट का आयोजन किया जाने से सम्बन्धित कार्य (परिवहन सेवा, होटल, भोजन, चाय, नाश्ता सम्बन्धित व्यवस्था) किये जाने की निविदा दिनांक 24.02.2025 को दोपहर 12:30 च्ड तक आमन्त्रित की जाती है। जो इसी दिनांक को सांय 04:30 च्ड पर खोली जावेगी।
बोली के क्रम में अन्य विवरण लोक उपापन पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
NIB Code - ZKT2425A0131
UBN Code - ZKT2425GSOB00424
अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, कोटा
राज.संवाद/सी/24/11880

सार-समाचार

नि:शुल्क विवाह सम्मेलन आयोजित

कोटा, (निसं)। भारत विकास परिषद की प्रताप शाखा के द्वारा 5 जोड़ों का सर्वजातीय हिंदू सामूहिक विवाह सम्मेलन इंदिरा विहार सोसाइटी सामुदायिकभवन पर आयोजित किया गया, कार्यक्रम का शुभारंभ भारत विकास परिषद के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्याम शर्मा, संदीप बाल्दी क्षेत्रीय महासचिव, क्षेत्रीय सचिव संस्कार किशन पाठक, प्रांतीय अध्यक्ष रवि प्रकाश विजय, प्रांतीय महासचिव हिमांशु चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि अशोक कुमार बत्रा, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, व कोटा शहर बीजेपी अध्यक्ष राकेश जैन, शाखा अध्यक्ष कुलदीप सैनी द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन व सामूहिक वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत से प्रारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि शिक्षा जो चाहे, चिकित्सा या समाज सेवा हो हर सूरत में अपने सामर्थ्य से अर्थ देकर अंतिम व्यक्ति उठाने या फिर बच्चों के पैर में चप्पल पहनना ना हो, भारत विकास परिषद इस प्रयास में खडा हुआ है जिसकी हमें आवश्यकता हैं। पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री भारत विकास परिषद श्याम शर्मा ने कहा कि यह परिषद की परंपरा रही हैं परिषद सदैव समाज में सामाजिक समरसता बढ़ाना चाहती हैं। सामूहिक विवाह समरसता के साथ विवाहों में होने वाले अनावश्यक खर्च और प्रदर्शन को खत्म कर एकरूपता लाने के प्रयास में यह कार्य करती हैं।

प्राणघातक हमले के मामले में सजा सुनाई

छबड़ा (निसं)। एडीजे अविनाश चौधरी ने 11 वर्ष पुराने प्राणघातक हमले के मामले का मंगलवार को निस्तारण करते हुए पांच आरोपियों को तीन तीन वर्ष के कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अपरलोक अभियोजक अमृतलाल लोधा के अनुसार हरनावदा शाहजी थाना क्षेत्र के मुंडाघटा निवासी रामप्रसाद गुर्जर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 14 अक्टूबर 2013 को मैं परिवार जन के साथ सुबह अपने घर पर बैठा हुआ था, उसी समय खुमानसिंह गुर्जर उसके घर आया और बद्रीलाल से कहने लगा कि मैने तेरे लडके को पढ़ाया है, उसके रुपए दे। इस पर बद्री लाल ने कहा कि तेरे पिताजी ने मेरी भैंस की आंख फोड़ दी थी उसके इलाज में भी काफी रुपए खर्च हुए हैं, इसलिए बद्रीलाल ने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर मुंडाघटा निवासी खुमानसिंह, छीतर, निरंजन, अनारसिंह व गोपीलाल हथियारों से लैस होकर आए और बद्रीलाल को जान से मारने की नियत से उस पर हमला कर दिया। एडीजे चोधरी ने मंगलवार को प्रकरण का निस्तारण करते हुए सभी आरोपियों को दंडित किया।

शुक्रवार को जलसप्लाई बाधित रहेगी

रामगंजमंडी,(निसं)। रामगंजमंडी परियोजना के जल श्रोत्र आम्बाकुई इन्टेक वेल एकलिंगपुरा फिल्टर प्लांट से आ रही 600एमएमडी आई पाईप लाईन रिछि के पास खाल में लीकेज हो गई है, जिसमें अत्यधिक पानी का रिसाव हो रहा है। उक्त पाईपलाईन को बंद करके गुरुवार 20 फरवरी को रिपेयर कार्य किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए बलभद्र शर्मा सहायक अभियंता ग्रामीण पीएचईडी ने बताया कि पाईप लाईन के लीकेज रिपेयर करने के कारण, शटडाउन लेने से 21फरवरी शुक्रवार को प्रात: होने वाली जल सप्लाई रामगंजमंडी सातलखेड़ी खैराबाद इस पाईप लाईन से जुड़े व रावली पम्प हाउस से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ती बाधित रहेगी।

सिंघवी के जन्मदिन पर जश्न मनाया

छबड़ा (निसं)।शीर्ष नेतृत्व द्वारा वरिष्ठ भाजपा नेता नरेश सिकरवार को तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर मंगलवार को भाजपा कार्यालय पर वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मतसिंह सिंघवी के नेतृत्व में आतिशबाजी कर मिठाई बांटकर जश्न मनाया। यहां भाजपा नेता सिंघवी ने कार्यकर्ताओं से संगठित रहकर पार्टी को और अधिक मजबूती प्रदान करने का आव्हान किया।

आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित

रामगंजमंडी, (निसं)। क्षेत्र में 33केवी लाईन जुल्मी के लाईन शिफ्टिंग का कार्य 19 फरवरी बुधवार को संवेदक द्वारा किया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुए ज्वाला कुमार वर्मा सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम रामगंजमंडी ने बताया कि जिस कारण कुंभकोट लखारिया व एएसआई पावरहाउस की विद्युत आपूर्ति सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी।ऐसे में फीडर नंबर 10,11,14, 5 व 6 सहित कुम्भकोट अमृतखेड़ी जुल्मी एवं गादिया से संबंधित औद्योगिक व ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।

क्रिकेट प्रेमी उठा रहे रोमाचंक मैचों का लुत्फ

छबड़ा (निसं)। छबड़ा प्रीमियर लीग ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन मंगलवार को दो मैच खेले गए।

आयोजन समिति के सदस्य पयाम ख़ान व राजेंद्र घेंघट ने बताया कि पहला मैच साजन इलेवन व आर्यन कोटा के बीच खेल गया जिसमें साजन इलेवन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया। साजन इलेवन ने 187 रनों का लक्ष्य दिया। जिसमें धर्मवीर ने 80 व भोलू ने 32 रनों का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए आर्यन कोटा ने अंतिम ओवर में सेकंड लास्ट बॉल पर छक्का मारकर 191 रन प्राप्त कर जीत दर्ज की। जिसमें आकाश ने 95 व संतोष ने 57 रनों का योगदान दिया। पहले मैच में मुख्यतिथि कांग्रेस नगर अध्यक्ष हरीश माहेश्वरी व विशिष्ट अतिथि एडवोकेट सईद फ़ारूक़ी, एडवोकेट राकेश गालव व एडवोकेट रईस अहमद ने मैन ऑफ़ द मैच आकाश को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। एडवोकेट फ़ारूक़ी द्वारा आर्यन कोटा की 16 वर्षीय महिला खिलाड़ी आलिया ख़ान को पाँच सो रुपये का नक़द पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

एम्पायरिंग आशीष व तौसीफ़ अहमद ने की। स्कोरिंग सलमान ख़ान ने की। कॉमेंट्री बुरहान, आज़ाद मीणा ने की। वहीं दूसरा मैच हिंदुस्तान छबड़ा व नाहरगढ़ के बीच हुआ जिसमें नाहरगढ़ ने टॉस जीतकर पहले बेटिंग का निर्णय लेकर 115 रनों का लक्ष्य दिया जिसमें अशोक चीना ने 20 व युवराज ने 13 रनों का योगदान दिया। ऋषि व धीरज ने 3-3 विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हिंदुस्तान छबडा ने 17 वें ओवर में 118 रनों पर जीत दर्ज की जिसमें पीयूष ने 38 व धीरज ने 18 रनों का योगदान दिया। दूसरे मैच के के मुख्यतिथि रिजवान एजाज़ी व विशिष्ट अतिथि बार अध्यक्ष दिनेश गालव व पूर्व बार अध्यक्ष राजेश भार्गव, संजय सेन ने मैन ऑफ़ द मैच पीयूष को सम्मानित किया। बेस्ट दर्शक ड्रा जीतने वाले अदान को 551 रुपये, रमजान भाई व आज़ाद जोगी को सौ-सौ रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। दूसरे मैच में एंपायरिंग दीपक व अज़हर ने की। वहीं स्कोरिंग सलमान ख़ान व अबरार अहमद ने की। कॉमेंट्री रहीम ख़ान व मुकेश व दोनों मैचों का लाइव प्रसारण वीआईपी स्पोर्ट लाइव पर शिवम शर्मा द्वारा किया गया।

लोकसभा अध्यक्ष के साथ विशेषज्ञ टीम ने खेल परिसरों का अवलोकन किया

कोटा, (निसं) कोटा को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने और अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के विकास के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने शहर के प्रमुख खेल परिसरों का दौरा किया। इस दौरान केडीए एवं जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

लोकसभा अध्यक्ष ने जे.के. पवेलियन स्टेडियम, विजय वीर स्टेडियम, कुन्हाडी और नयापुरा तरणताल का निरीक्षण कर आवश्यक उन्नयन की दिशा में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोटा-बून्दी क्षेत्र में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। क्षेत्र को खेलों के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने जेके पवेलियन स्टेडियम, तरणताल व आस पास की जगह का सदुपयोग करते हुए एक बहुआयामी स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने के लिए अधिकारियों को विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। विशेषज्ञ आर्किटेक्ट्स की टीम ने जे.के. पवेलियन स्टेडियम सहित शहर की अन्य खेल सुविधाओं के उन्नयन की संभावनाओं पर अपने सुझाव दिए, ताकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के बडे टूर्नामेंटों की मेजबानी कोटा में की जा सके। लोकसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि खिलाडियों को आधुनिक सुविधाएं दी जाएं, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

बिरला ने कहा कि नयापुरा तरणताल का आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनरुद्धार किया जाए, ताकि तैराकी की उभरती प्रतिभाओं को समुचित संसाधन मिल सकें। उन्होंने नांता के वीर दुर्गा दास स्टेडियम सहित अन्य खेल परिसरों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से तीरंदाजी, शूटिंग और अन्य संभावित खेलों को विकसित करने की दिशा में योजना बनाने को कहा। शहर के खेल परिसरों के उन्नयन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस पहल से कोटा की खेल प्रतिभाओं को आधुनिक संसाधन उपलब्ध होंगे और शहर एक अग्रणी स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित होगा।

जुर्माने के साथ की गई जब्ती की कार्यवाही

रामगंजमंडी, (निसं)। नगरपालिका क्षेत्र के मुख्य बाजारों का 18 फरवरी मंगलवार को निरीक्षण किया गया। नगरपालिका सभागार में 13 फरवरी गुरुवार को उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में इआयोजित बैठक के निर्णय के क्रम में सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने, दुकानदार व ठेले वाले दुकानों पर कचरा पात्र रखवाने व खुले में गुटखा तम्बाकु थूकने वालों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। जिसके दौरान उपखण्ड अधिकारी नीता वसीटा व अधिशाषी अधिकारी तरूण कुमार लहरी के नेतृत्व में कचरा पात्र नही रखने वालों व अतिक्रमण कर रोड जाम करने एवं गुटखा खाकर गन्दगी के पॉइंट्स बनाने वाले दुकानदारों के जुर्माना के साथ सामान जब्ती की कार्यवाही की गई। साथ ही इस बात की समझाईश की गई।

पिप्पलेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर विविध धार्मिक आयोजन

कोटा, (निसं)। कंपीटीशन कॉलोनी, महावीर नगर तृतीय स्थित भगवान श्री पिप्पलेश्वर महादेव मंदिर, श्री पिप्पलेश्वर वाटिका में 23 फरवरी से 27 फरवरी तक पंचदिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मंदिर की 'श्री पिप्पलेश्वर सेवा समिति' के अध्यक्ष भारत भूषण अरोड़ा ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 23 फरवरी को प्रात: 5.15 बजे श्चतुर्दिवसीय अखंड श्रीरामचरितमानस पाठश के साथ होगा। फाल्गुन कृष्ण द्वादशी, 25 फरवरी की सायं 7.30 बजे 'फागोत्सव' का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध भजन गायक दिलीप सिंह चौहान (धार का अखाड़ा, किशोरपुरा, कोटा) भक्तिरस और बृजरस से ओतप्रोत मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगे और से भक्तो को भावविभोर करेंगे। महाशिवरात्रि, 26 फरवरी को रात 8.00 बजे से भगवान भोलेनाथ का 'चतुप्रहर रुद्राभिषेक' संपन्न होगा, जिसमें श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जलाभिषेक करेंगे। महोत्सव के अंतिम दिन, 27 फरवरी को प्रात: 10 बजे 'श्रीरामचरितमानस पाठ पूर्णाहुति' और सामूहिक हवन होगा। इसी दिन सायं 6.00 बजे से प्रभु इच्छा तक 'आम भंडारा' (प्रसादी) का आयोजन रहेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे।

शातिर वाहन चोर पुलिस के हत्थे चढ़े

कोटा, (निसं)। किशोरपुरा पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्यवाही करते हुए चोरी की स्कूटी लेकर घूम रहे दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपियों के पास से चोरी किये गये 11 दुपहिया वाहनों को पुलिस ने बरामद किया है। शहर एसपी डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि शहर मे वाहन चोरी, लूट के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये अभियान चलाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि किशोरपुरा इलाके में स्कूटी चोरी की रिपोर्ट सामने आने पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिये किशोरपुरा थानाधिकारी भुरी सिंह के नेतृत्व मे टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटैज खंगाले। शहर एसपी ने बताया कि किशोरपुरा थानाधिकारी मय जाप्ता मौजी बाबा के समीप नाकाबंदी कर वाहनो की चैकिंग कर रहे थे उसी दौरान बिना स्कूटी नम्बर को लेकर दो जने दिखे संदेह होने पर पुलिस टीम ने उन्हे रोककर स्कूटी के इंजन व चेचिस नम्बर चेक किये तो चोरी की स्कूटी की दर्ज रिपोर्ट सामने आने पर दोनों को स्कूटी सहित डिटेन कर थाने लाकर पूछताछ कर दो शातिर वाहन चोर किशोरपुरा हाल बोम्बे योजना निवासी मोईनुद्दीन उर्फ मोनू (25) और डीसीएम निवासी अब्दुल खालिद (40) को गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपियों से चोरी की गई स्कूटी के अलावा पूछताछ में चोरी किये गये 10 दुपहिया वाहनों को भी बरामद किया गया।

कलेक्टर ने छात्रों को परीक्षा से पहले आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता बनाए रखने के टिप्स दिए

कोटा, (निसं)। जिला प्रशासन के 'कामयाब कोटा' और 'कोटा केयर्स' अभियान के तहत कोचिंग स्टूडेंट्स को लगातार प्रेरित किया जा रहा है।

इसी कड़ी में जिला कलेक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी मंगलवार को एलन कोचिंग संस्थान के जवाहर नगर स्थित सत्यार्थ कैंपस में पहुंचे और नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। एलन निदेशक राजेश माहेश्वरी ने भी छात्रों के साथ बैठकर पूरी क्लास अटेंड की। सत्र के अंत में कलक्टर डॉ. गोस्वामी ने छात्रों को चॉकलेट वितरित कर परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दीं।

सत्र के दौरान डॉ.गोस्वामी ने स्टूडेंट्स के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा की। एक छात्रा द्वारा सेल्फ डाउट और ओवरथिंकिंग से जुड़ा सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह समस्या हर व्यक्ति के साथ होती है। उन्होंने बताया कि जब हम किसी चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, तो दिमाग उसे बार-बार क्रॉस चेक करता है, जिससे ओवरथिंकिंग होती है। इसे मैनेज करने के लिए सबसे पहले इसे स्वीकारें कि हम किसी विषय पर ज्यादा सोच रहे हैं। इसके बाद अपनी चिंताओं को लिखें, उनके प्रभावों को समझें और

कोटा जिला कलेक्टर परीक्षा से पहले आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता बनाए रखने के टिप्स देने छात्रों के मध्य पहुंचे।

फिर उस कागज को फाड़ दें या डिजिटल रूप से डिलीट कर दें। इससे नकारात्मक सोच कम होगी और मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी।

बैकलॉग और रिवीजन कैसे करें:-बैकलॉग मैनेजमेंट पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि कोई भी छात्र ऐसा नहीं होता जिसने पूरी पढ़ाई कर ली हो और फिर भी उसके पास समय बचा हो। उन्होंने कहा कि कठिन विषयों के लिए स्मार्ट अध्ययन जरूरी है। स्टूडेंट्स को की-वर्ड आधारित रिवीजन तकनीक अपनाने की सलाह दी गई, जिसमें कठिन विषयों से जुड़े मुख्य बिंदुओं को नोटबुक के कोने पर लिखने से रिवीजन आसान हो जाता है। इसके अलावा, जब भी समय मिले, खासकर छुट्टी के दिन, रिवीजन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

75 दिन शेष, रोज पेपर हल करें:-नीट परीक्षा की रणनीति पर चर्चा करते हुए डॉ.गोस्वामी ने कहा कि अब सिर्फ 75 दिन शेष हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को रोजाना पूरे तीन घंटे की सिटिंग में पेपर हल करने की आदत डालनी चाहिए। इससे परीक्षा की तैयारी का सही आंकलन होगा और कमजोर टॉपिक्स की पहचान होगी। उन्होंने कहा कि सिली मिस्टेक्स सभी से होती हैं, लेकिन अधिक पेपर हल करने से इन गलतियों को कम किया जा सकता है।

नींद और मानसिक ताजगी का रखें ध्यान-नींद और मानसिक ताजगी बनाए रखने के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा कि नींद आना स्वाभाविक है और यह हमें रिलैक्स भी करती है। यदि कोई विद्यार्थी पॉवर नैप्स लेकर अपनी एकाग्रता और पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ा सकता है, तो उसे ऐसा जरूर करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि 5-6 घंटे की सतत् पढ़ाई के बाद थोड़ी देर आराम करने से आगे की पढ़ाई अधिक प्रभावी हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नींद पूरी नहीं होगी, तो दिमाग पर बोझ बढ़ेगा और पढ़ाई की क्षमता प्रभावित होगी।

स्टूडेंट्स ने खुलकर पूछे सवाल:-इस प्रेरणादायक सत्र में छात्र-छात्राओं ने भी खुलकर अपने सवाल पूछे और परीक्षा की तैयारियों से जुड़ी शंकाओं का समाधान प्राप्त किया। डॉ.गोस्वामी ने परीक्षा से संबंधित हर पहलू पर गहराई से चर्चा की। उन्होंने सभी छात्रों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दीं और सफलता के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दी।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/3321 विज्ञप्ति दिनांक:-14.2.2025
सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटडी में स्थित कृषि भूमि योजना त्रिवेणी आवास भूखंड संख्या बी-5/ए खसरा नं. 107 आवेदक/आवेदिका श्री रमेश कुमार सुखेजा पुत्र श्री कीमतराम निवासी 40 अशोका कालोनी वल्लभ नगर गुमानपुरा कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 298 दिनांक 09.01.2002 को प्रदीप कुमार सगतिया पुत्र श्री शिवराम सिगतिया के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड संख्या बी-5 का उप विभाजन समिति के आदेश क्रमांक एफ-7/डी.टी.पी./2023/1304 दिनांक 18.01.2023 से भूखंड संख्या बी-5/ए क्षेत्रफल 188.88 वर्गगज एवं बी-5/बी क्षेत्रफल 133.33 वर्गगज के रुप में किया गया है। पट्टाधारी द्वारा भूखंड संख्या बी-5/ए का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2024 को जर्ये मुख्तारआम श्री संदीप सिंह पुत्र श्री शिवमुन्नी सिंह द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।
अत: श्री रमेश कुमार सुखेजा पुत्र श्री कीमतराम के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।
उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/939 दिनांक:-17.2.25
नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना
नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना आनन्दपुरा आवास संख्या एएच-253 का नामहस्तांतरण क्रमांक 840 दिनांक 01.08.2024 को श्रीमती गायत्री पत्नी स्व. श्री राधेश्याम के नाम हस्तान्तरण किया गया था। क्रेता श्रीमती गायत्री पत्नी स्व. श्री राधेश्याम की मृत्यु दिनांक 05.08.2024 को हो गयी है। मृत्यु उपरांत श्रीमती गायत्री पत्नी स्व. श्री राधेश्याम के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत विधिक वारिसान शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्रों, आईडी इत्यादि के आधार पर श्री कपिल मंडोरिया पुत्र स्व. श्री राधेश्याम मंडोरिया द्वारा उक्त आवास संख्या एएच-253 आनन्दपुरा अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।
अत: जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या एएच-253 योजना आनन्दपुरा का नामहस्तान्तरण श्री कपिल मंडोरिया पुत्र स्व. श्री राधेश्याम मंडोरिया के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा
क्रमांक 4521 जाहिर आम सूचना दिनांक - 18.2.25
आवास संख्या 3-च-6 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती रामकंवर बाई पत्नी श्री रामरतन को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती रामकंवर बाई पत्नी श्री रामरतन द्वारा दिनांक 21.09.1991 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती रामकंवर बाई पत्नी श्री रामरतन की मृत्यु दिनांक 03.11.2003 को हो चुकी है। श्रीमती रामकंवर बाई पत्नी श्री रामरतन द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर श्री बृजलाल आर्य पुत्र श्री रघुनाथ सिंह के पक्ष में आलेखित की गई। श्री बृजलाल आर्य पुत्र श्री रघुनाथ सिंह द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-च-6 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।
अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री बृजलाल आर्य पुत्र श्री रघुनाथ सिंह के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री बृजलाल आर्य पुत्र श्री रघुनाथ सिंह के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री बृजलाल आर्य पुत्र श्री रघुनाथ सिंह के नाम कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)
क्रमांक:-LU2012/KOT/2024-25/100885 लोक सूचना दिनांक:-17.02.2025
श्री DEEPAK RAWAL पुत्र श्री MANGI LAL RAWAL निवासी KHADI AASHRAM KE PASS JALKHED KOTA ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	जालखेडा लाडपुरा (कोटा)	DEEPAK RAWAL S/O MANGI LAL RAWAL CASTE-RAWAL JALKHEDA KAITHOON ROAD KHADI AASHRAM KE PASS KOTA RAJASTHAN	689/251	2850	0.285
				कुल	0.285

इसलिये, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के आभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 17.02.2025 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा
क्रमांक 4985 जाहिर आम सूचना दिनांक - 14.2.25
आवास संख्या 2-यू-17 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री छोगालाल पुत्र श्री लालू को किया गया था। श्री छोगालाल पुत्र श्री लालू की मृत्यु दिनांक 16.12.1998 को हो जाने उपरांत उक्त आवास का हस्तांतरण दिनांक 20.06.2016 को इनके पुत्र श्री भागीरथ के पक्ष में किया गया। उक्त आवास का पंजीयन श्री भागीरथ पुत्र स्व. श्री छोगालाल द्वारा दिनांक 05.12.2016 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री भागीरथ पुत्र स्व. श्री छोगालाल द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 28.12.2017 को श्रीमती रश्मि विजय पत्नी श्री पूनमचन्द विजय को किया गया। श्रीमती रश्मि विजय पत्नी श्री पूनमचन्द विजय का नाम दिनांक 02.04.2018 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती रश्मि विजय पत्नी श्री पूनमचन्द विजय द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 14.09.2020 को श्रीमती सरस्वती गेरा पत्नी श्री गिरधारी लाल गेरा को किया गया। श्रीमती सरस्वती गेरा पत्नी श्री गिरधारी लाल गेरा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-यू-17 महावीर नगर तृतीय कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।
अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सरस्वती गेरा पत्नी श्री गिरधारी लाल गेरा का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सरस्वती गेरा पत्नी श्री गिरधारी लाल गेरा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती सरस्वती गेरा पत्नी श्री गिरधारी लाल गेरा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।
उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)
क्रमांक/नपारा/भूमि/2024-25/5526 आपत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक:-17.2.25
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री संजय छाबडा पिता श्री मदनलाल छाबडा निवासी रावतभाटा ने इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन मय शपथ पत्र एवं वांछित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियों को ऑनलाईन अपलोड कर नगर पालिका रावतभाटा के गैर योजना क्षेत्र मुर्गी फार्म के पास नया बाजार रावतभाटा में स्थित आवासीय उपविभाजित बिखरा भूखंड संख्या ए-2 साईज 47x64 क्षेत्रफल 3008 वर्गफीट अर्थात 279.443 वर्गमीटर का नामान्तरण/हस्तान्तरण अपने नाम पालिका रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।
प्रस्तुत/ऑनलाईन अपलोड दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह बिखरा भूखंड संख्या "ए" पालिका द्वारा नीलामी दिनांक 13.01.2012 अन्तर्गत श्री नारायण गुर्जर पिता श्री निम्बा गुर्जर निवासी सेटलडेम तहसील रावतभाटा को विक्रय किया गया था, जिसकी संपूर्ण राशि एवं एकमुश्त 10 वर्ष की लीज राशि जमा होने के उपरांत क्रेता के पक्ष में लीज डीड क्रमांक 22 दिनांक 16.05.2012 व पंजीयन दिनांक 25.05.2012 से करवाया गया, भूखंड की कुल साईज 47x100=6400 वर्गफीट अर्थात 594.80 वर्गमीटर थी। जिसका भूखंड संख्या ए-1 व ए-2 के रुप में उपविभाजन पालिका स्वीकृत पत्रांक 2126 दिनांक 07.08.2024 से स्वीकृत किया गया था। जिसके उपरांत मूल क्रेता के द्वारा उपविभाजित भूखंड संख्या ए-2 साईज 47x64 क्षेत्रफल 3008 वर्गफीट अर्थात 279.443 वर्गमीटर को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 30.09.2024 से आवेदक श्री संजय छाबडा पिता श्री मदनलाल छाबडा निवासी रावतभाटा को हस्तान्तरित किया गया है। जिसके आधार पर आवेदक के नाम उक्त उपविभाजित भूखंड का नामान्तरण/हस्तान्तरण नियमानुसार दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।
अत: उक्त उपविभाजित बिखरा भूखंड का नामान्तरण पालिका रिकार्ड में आवेदक के नाम दर्ज करने पर किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति/उजर हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति/उजरदारी प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा